कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था—4/सी—8/डीपीसी/पदस्थापन/2021—22,2022—23/2024—32748/पार्ट—4 दिनांक

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)—माध्यमिक

विषयः— एक से अधिक विषयों में चयनित हुए प्राध्यापकों के संबंध में।
प्रसंगः— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा—मा/संस्था/सी—4/डीपीसी पदस्थापन/2021—22, 2022—23/2024—ई फाईल दिनांक 17.12.2024 एवं 19.12.2024 तथा शासन का आदेश क्रमांक प.17(01)शिक्षा—2/2025—27229—6899978 दिनांक 28.04.2025

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के प्रासंगिक आदेश दिनांक 17.12.2024 द्वारा डीपीसी वर्ष 2021—22 एवं 2022—23 के लिये वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर पदोन्नत प्राध्यापकों को दिनांक 23.12.2024 तक यथावत् कार्यग्रहण हेतु निर्देश जारी किए गए थे। तत्पश्चात् समसंख्यक आदेश दिनांक 19.12.2024 द्वारा उक्त कार्यग्रहण तिथि को आगामी आदेशों तक बढ़ाया गया एवं काउंसलिंग द्वारा प्राध्यापकों के पदस्थापन आदेश जारी किए गए। उक्त पदस्थापन के क्रम में कतिपय प्राध्यापकों का एक से अधिक विषय में चयन होने से पदस्थापन होने के कारण उक्त प्राध्यापकों द्वारा संदर्भित आदेशों के क्रम में किसी एक विषय में यथावत कार्यग्रहण किया गया।

एक से अधिक विषय में पदस्थापन होने के कारण जिन प्राध्यापकों द्वारा संदर्भित आदेशों के क्रम में किसी भी विषय में यथावत कार्यग्रहण कर लिया गया था, के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी प्रासंगिक निर्देश दिनांक 28.04.2025 के अनुसरण में उक्त प्राध्यापकों का अन्य चयनित किसी भी विषय हेतु कार्यमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त सहमति उन प्राध्यापकों हेतु ही प्रदान की गई है, जिनका चयन एक से अधिक विषयों में हुआ है।

(आशीष मोदी)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ),
समग्र शिक्षा अभियान (SMSA)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय (विद्यालयी/संस्कृत) विभाग एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा व पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज